

**उत्तर प्रदेश शासन**  
**स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2,**  
**संख्या-02/2018/169/94-स्टा०नि०-2-2018-700(965)/16**  
**लखनऊ : दिनांक 12 फरवरी, 2018**

**अधिसूचना**

**आदेश**

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा-संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, राज्य के उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति 2017 के प्रस्तर-1.2 एवं उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति, 2017 के प्रस्तर-4.3 में उपबन्धित, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-2 में यथा-उल्लिखित प्रयोजनों के लिए, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में यथा-प्रदर्शित लिखतों के सम्बन्ध में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में, नीचे अनुसूची के स्तम्भ-3 में प्रदर्शित सीमा तक छूट प्रदान करते हैं।

**अनुसूची**

| उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति 2017 के प्रस्तर संख्या | प्रयोजन व अन्य विवरण                                                                                                                                                                                                            | छूट की सीमा | लिखत की प्रकृति तथा अनुसूची एक-ख की अनुच्छेद संख्या                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3           | 4                                                                       |
| प्रस्तर 1.2                                                                | सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा के उपयोगार्थ भूमि/कार्यालय के स्थान/भवन क्रय किये जाने/पट्टे पर लिए जाने पर स्टाम्प शुल्क में इस प्रतिबन्ध सहित छूट प्राप्त होगी कि 03 वर्षों के भीतर परिचालन प्रारम्भ हो जाये। | 100 प्रतिशत | अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन हस्तांतरण तथा अनुच्छेद 35 के अधीन पट्टा |
| उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति, 2017 की प्रस्तर संख्या         | प्रयोजन व अन्य विवरण                                                                                                                                                                                                            | छूट की सीमा | लिखत की प्रकृति तथा अनुसूची एक-ख की अनुच्छेद संख्या                     |
| 1                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3           | 4                                                                       |
| प्रस्तर 4.3                                                                | इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन के अधीन एकल ई.एस.डी.एम. इकाईयों की स्थापना हेतु भूमि के क्रय करने/पट्टे पर लेने पर स्टाम्प शुल्क में छूट।                                                                                      | 100 प्रतिशत | अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन                                         |

आज्ञा से,  
हिमांशु कुमार  
प्रमुख सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

**संख्या-02/2018/169/94-स्टा०नि०-2-2018-700(965)/16, दिनांक 12 फरवरी, 2018**

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 12-02-2018 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की सौ प्रतियाँ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(लालू)

संयुक्त सचिव।

**संख्या-02/2018/169/94-स्टा०नि०-2-2018-700(965)/16, दिनांक 12 फरवरी, 2018**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, आई०टी० एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०एल०सी०, उत्तर प्रदेश।
8. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० डेस्क, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, लखनऊ।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त उपायुक्त स्टाम्प/उप महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त सहायक आयुक्त स्टाम्प/सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
13. विधायी अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन।
13. भाषा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लालू)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**UTTAR PRADESH SHASAN  
STAMP EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2**

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no.02/2018/169/94-S.R.-2-2018-700 (965)/2016, Dated, 12 February, 2018

**Notification**

**Order**

No.-02/2018/169/94-S.R.-2-2018-700 (965)/2016

Lucknow Dated, 12 February, 2018

In exercise of the powers under clause (a) of sub section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act No 10 of 1897) the Governor is pleased to remit with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the stamp duty to the extent shown in Column-3 of the Schedule below, chargeable in respect of the instruments as shown in Column-4 of the said Schedule for the purposes provided in paragraph 1.2 of the Uttar Pradesh Information Technology and Start-up Policy 2017 and paragraph 4.3 of the Uttar Pradesh Electronics Manufacturing Policy 2017 of the State as mentioned in Column-2 of the said Schedule.

**SCHEDULE**

| <b>Paragraph numbers of the Uttar Pradesh Information Technology and Start-up Policy 2017</b> | <b>Purpose and other details</b>                                                                                                                 | <b>Extent of Remission</b> | <b>Nature of instrument and Article number of Schedule I-B</b>        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>                                                                                      | <b>2</b>                                                                                                                                         | <b>3</b>                   | <b>4</b>                                                              |
| paragraph 1.2                                                                                 | exemption of stamp duty on purchase/lease of land/office space/buildings for It/ITeS use with condition of commencing operations within 3 years. | 100%                       | Conveyance, under clause (a) of Article 23 and lease under Article 35 |

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

| <b>Paragraph number of the Uttar Pradesh Electronics Manufacturing Policy 2017</b> | <b>Purpose and other details</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Extent of Remission</b>                              | <b>Nature of instrument and Article number of Schedule I-B</b>               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>                                                                           | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3</b>                                                | <b>4</b>                                                                     |
| paragraph 4.3                                                                      | <p>exemption of stamp duty on purchase/lease of land for the establishment of individual ESDM units under EMZ.</p> <p>For purchase/ lease of land for the establishment of EMCs/ESDM parks, exemption of stamp duty on first transaction (Authority to Developer/SPV).</p> <p>exemption of stamp duty on second transaction (Developer/SPV to ESDM Units).</p> | <p><b>100%</b></p> <p><b>100%</b></p> <p><b>50%</b></p> | <p>Conveyance, under clause (a) of Article 23 and lease under Article 35</p> |

2. The remit under this notification shall be available if the District Magistrate or the General Manager, District Industries Centre of the concerned district shall sign such instrument as witness for the purpose of confirming the fact that the transfer is being executed under the said policy.

By order,  
Himanshu Kumar  
Pramukh Sachiv

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।